हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

षष्टम् सत्र

<u>समाचार भाग-1</u>

संख्याः 51

वीरवार, 22 अगस्त, 2019/31 श्रावण,1941 (शक्)

<u>सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख</u>

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

अध्यक्ष द्वारा सूचना

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को निम्नलिखित सूचना दी-

"इससे पूर्व कि हम प्रश्नकाल आरंभ करें, मैं माननीय सदन को सूचित करना चाहूंगा कि आज विधान सभा की विशिष्ट दीर्घा में महत्वपूर्ण व्यक्ति हिमाचल प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही को देखने के लिए आए हैं। इनमें श्री सूर्य नारायण पात्रो, विधान सभा अध्यक्ष, उड़ीसा भी हैं। आप सात बार से विधायक हैं। साथ में श्री प्रदीप्ता कुमार नायक, नेता प्रतिपक्ष हैं जो चार बार से विधायक हैं। संसदीय कार्य मंत्री श्री बिक्रम केसरी जी भी पधारे हैं। श्री तुषार कांति जी, श्रीमती प्रोमिला जी, श्रीमती भारती जी और विभिन्न विभागों के मंत्री, विधायकगण और आई.ए.एस. अधिकारी भी साथ आए हैं। हम इस सभा में इन सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं।"

सदस्यों ने मेजें थपथपाकर उड़ीसा से आए प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया।

मुख्य मंत्री ने भी प्रश्नकाल में अपने नाम से सूचीबद्ध हुए पहले प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व माननीय सदन तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से विधान सभा अध्यक्ष के नेतृत्व में उड़ीसा से आए प्रतिनिधिमंडल का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रतिनिधिमंडल का हिमाचल प्रवास सुखद, आरामदायक एवं यादगार रहेगा।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्याः 1110 (स्थगित) के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 1282 (विषयः सामुदायिक भवन) पर पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों के संबंधित मंत्री द्वरा उत्तर पर माननीय मुख्य मंत्री ने हस्तक्षेप कर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि किसी पंचायत विशेष/क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली परिस्थितियों के दृष्टिगत निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग को भी दिया जा सकता है। तारांकित प्रश्न संख्याः 1283 से 1285 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 1286 से 1341 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याः 353 व 369 (स्थगित) तथा 337 से 373 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष ने श्री पी.चिदम्बरम, पूर्व वित्त मंत्री, भारत सरकार की गिरफ्तारी का मामला सदन में उठाना चाहा जिसका सत्तापक्ष ने विरोध किया। इस पर दोनों पक्षों के सदस्यों ने अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाज़ी की।

अध्यक्ष महोदय ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की। माननीय अध्यक्ष के अनुरोध पर सतापक्ष के सदस्य अपने स्थान पर बैठ गए। लेकिन कांग्रेस विधाक दल के सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करते रहे। इसी बीच माननीय अध्यक्ष महोदय ने कार्यवाही प्रारम्भ कर दी।

2. कागज़ात सभा पटल पर

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग, अधीक्षक, ग्रेड-I, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 जोकि अधिसूचना संख्याः टी0एस0एम0-ए(3)-3/2010 दिनांक 25.02.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05.03.2019 को प्रकाशित हुए हैं, की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. विधान सभा की कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

कर्नल इन्द्र सिंह, सदस्य ने कार्य-सलाहकार समिति का सप्तम् प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) सभा में उपःस्थापित किया तथा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी किया।

(प्रस्ताव स्वीकार)

(12.05 बजे अपराह्न कांग्रेस विधायक दल ने सदन से बहिर्गमन किया।)

अध्यक्ष द्वारा सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री राम स्वरूप शर्मा, सांसद विशिष्ट दीर्घा में उपस्थित होकर सदन कार्यवाही का अवलोकन करने के लिए पधारे हैं। उन्होंने माननीय सांसद का स्वागत एवं अभिनंदन किया। सदस्यों ने भी मेजें थपथपाकर माननीय सांसद का स्वागत किया।

माननीय मुख्य मंत्री ने कांग्रेस विधायक दल द्वारा बहिर्गमन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस विधायक दल द्वारा जिस मामले को लेकर बहिर्गमन किया गया है, ऐसे मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता। श्री पी. चिदम्बरम के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट की बहुत गंभीर टिप्पणी है। वर्तमान केन्द्र सरकार की प्रतिबद्धता है कि भ्रष्टाचार को बिल्कुल सहन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि यह मामला राज्य सरकार से संबंधित नहीं है।

4. मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री विपन सिंह परमार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने "**इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, शिमला में गुर्दा प्रत्यारोपण** (Kidney Transplant)" सुविधा प्रदान करने बारे सदन में वक्तव्य दिया।

(12.28 बजे अपराह्न कांग्रेस विधायक दल के सदस्य सदन में वापिस आए।)

5. गैर-सरकारी सदस्य कार्य

"संकल्प"

पिछले सत्र में दिनांक 14 फरवरी, 2019 को गैर-सरकारी सदस्य दिवस पर प्रस्तुत अपने निम्नलिखित संकल्प पर कर्नल इन्द्र सिंह, सदस्य ने आगे चर्चा कीः-

"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि आधुनिक युग में कम्प्यूटर के बढ़ते उपयोग व निजी विद्यालयों की तर्ज़ पर सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर से निःशुल्क कम्प्यूटर शिक्षा देने हेतु नीति बनाने पर विचार करे।"

(12.34 बजे अपराह्न माननीय उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

1. श्री मुकेश अग्निहोत्री
2. श्री राजिन्द्र गर्ग

(12.55 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 02.00 बजे अपराह्न तक स्थगित की गई।)

(भोजनावकाश के उपरान्त सदन की बैठक 02.05 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

कर्नल इन्द्र सिंह, सदस्य द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर आगे चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः-

3. श्री सुरेन्द्र शौरी
4. श्री इन्द्र सिंह (बल्ह)

शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(संकल्प वापिस हुआ।)

अध्यक्ष द्वारा सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री किशन कपूर, सांसद विशिष्ट दीर्घा में उपस्थित होकर सदन कार्यवाही का अवलोकन करने के लिए पधारे हैं। उन्होंने माननीय सांसद का स्वागत एवं अभिनंदन किया। सदस्यों ने मेजें थपथपाकर माननीय सांसद का स्वागत किया।

(02.28 बजे अराह्न उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

पहला "संकल्प"ः

(i) **श्री बलबीर सिंह, सदस्य** ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया एवं चर्चा कीः-

"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि पंचायतों में विकास कार्यों हेतु आबंटित धनराशि का सदुपयोग किया जाए तथा भ्रष्टाचार को रोकने हेतु विभाग की जवाबदेही निश्चित करने हेतु ठोस नीति बनाने पर यह सदन विचार करे।"

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

1. श्री रमेश चंद ध्वाला
2. श्री हर्षवर्धन चौहान

3. श्री बिक्रम सिंह जरयाल
4. श्री सुख राम
5. श्री राम लाल ठाकुर
6. श्री जगत सिंह नेगी
7. श्री किशोरी लाल
8. श्री सुखविन्द्र सिह सुक्खु
9. श्रीमती कमलेश कुमारी

श्रीमती कमलेश कुमारी ने अपनी चर्चा के दौरान कहा कि श्री हर्षवर्धन चौहान ने अपनी चर्चा में अनुसूचित जाति वर्ग तथा महिलाओं के प्रति विपरीत टिप्पणी की है जिसका वह विरोध करती है।

श्री हर्षवर्धन चौहान ने इस बात का खण्डन किया एवं चाहा कि श्रीमती कमलेश कुमारी, सदस्य ने उनके विरुद्ध जो भी बातें कहीं, उन्हें सदस्या वापिस ले या उन्हें कार्यवाही से निकाला जाए।

माननीय उपाध्यक्ष ने इस मामले में कार्यवाही का अवलोकन कर निर्णय देने की बात कही ।

श्री बलबीर सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा में निम्नलिखित ने भाग लिया :-

10. श्री इन्द्र दत्त लखनपाल
11. श्री मोहन लाल ब्राक्टा
12. श्री सुभाष ठाकुर

(04.15 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष पदासीन हुए।)

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(संकल्प वापिस हुआ।)

(04.40 बजे अपराह्न माननीय उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)

दूसरा "संकल्प"ः

(ii) **श्री जीत राम कटवाल, सदस्य** ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया:-

"This House may discuss the situation arising out of restrictions imposed on all construction works stopped due to FRA/FCA cases in the State."

(संकल्प पर चर्चा अगले गैर-सरकारी सदस्य दिवस पर होगी।)

04.55 बजे अपराह्न सदन की बैठक शुक्रवार, 23 अगस्त, 2019 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई ।